सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 223

14 वैशाख, 1934 शकाब्द

राँची, शुक्रवार 4 मई, 2012

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

3 मई, 2012

संख्या-एल०जी०-06/2012-87/लेज०---झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

[झारखण्ड अधिनियम 16, 2012]

गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2012

झारखण्ड सरकार को अधिसूचना संख्या-43, दिनांक 25 जनवरी, 2006 द्वारा अधिनियमित झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2006) को झारखण्ड राज्य में लागू एवं प्रवर्तन करने के लिए संशोधन हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

1. यह अधिनियम झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा ।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
3. यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. **झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2006) की धारा 8(1) में संशोधन ।**

झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2006) की धारा 8(1) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जायेगी :-

इस निमित्त नियमावली की शर्तों के अधीन एक गृह रक्षक को चार वर्षों तक के लिए (प्रशिक्षण में बिताई गई अवधि सहित) राज्य सरकार को सेवा देनी होगी तथा उन्हें किसी भी समय कर्त्तव्य पर बुलाया जा सकेगा किन्तु उनकी उम्र 58 (अन्ठावन) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
पंकज श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

3 मई, 2012

संख्या-एल०जी०-06/2012-88/लेज०-झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को अनुमत झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2012 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
पंकज श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

[JHARKHAND ACT 16 OF 2012]

THE JHARKHAND HOME GUARD (AMENDMENT) ACT, 2012

AN ACT further to amend the section 8(1) of the Jharkhand Home Guards Act, 2005 (Jharkhand Act 03, 2006) having Notification no. 43, dated the 25th January, 2006 in its application to the State of Jharkhand.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Jharkhand in the Sixty Third year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement:-**

   1. This Act will be called the Jharkhand Home Guards Act, 2005 (Jharkhand Act 03, 2006) (Jharkhand Amendment) Act, 2012.
   2. It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
   3. It shall come into force from the date of Notification in the official Gazette.

2. **Amendment of Section 8(1) of the Jharkhand Home Guards Act, 2005 (Jharkhand Act 03, 2006):-**

The Section 8(1) of the Jharkhand Home Guards Act, 2005 (Jharkhand Act 03, 2006) will be Substituted as follows:-

Subject to any rules made in this behalf, a Home Guard shall be required to serve the State Government for period of four years (including the period spent in training) and shall be liable to be called out for duty at any time but not beyond the age of 58 (fifty eight) years.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
पंकज श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 223--150+400 ।